उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2
संख्या : बी–2–2474/दस–2010–244(5)/2010– ।।
लखनऊ : दिनाँक : 18 अगस्त, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांगों से सम्बन्धित विधान मण्डल द्वारा पारित विनियोग विधेयक महामहिम श्री राज्यपाल की स्वीकृति के उपरान्त दिनाँक 18 अगस्त, 2010 को उत्तर प्रदेश विनियोग (2010–2011 का अनुपूरक) अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2010) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है ।

2– अतः वित्तीय वर्ष 2010–2011 के बजट प्रावधानों के सापेक्ष स्वीकृतियाँ जारी करने विषयक कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनाँक 26 मार्च, 2010 के क्रम में प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि वे अनुपूरक माँग में सम्मिलित प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें । जिन मामलों में नियोजन / वित्त विभाग की सहमति आवश्यक हो, उनमें नियोजन / वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के बाद ही स्वीकृतियाँ जारी की जायँ । यदि अनुपूरक मांगों में सम्मिलित किसी धनराशि की स्वीकृति जारी न की जानी हो, तो उसकी सूचना संबंधित वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग को पूर्ण विवरण सहित अविलम्ब दी जाय ।

3– प्रशासकीय विभागों द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति से संबंधित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी न की जायँ । जिन कार्यों/योजनाओं हेतु उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों की प्रतिपूर्ति अनुपूरक अनुदान के माध्यम से कराई गई है, उनका महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के लेखों में पुस्तांकन, वित्त विभाग के संबंधित व्यय–नियंत्रण अनुभाग के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय । इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले आदेश में उस शासनादेश की संख्या व दिनांक का भी उल्लेख किया जाय, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृत की गई है ।

4– आयोजनागत पक्ष की वित्तीय स्वीकृतियों को निर्धारित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत रखा जायेगा ।

5– वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागों द्वारा उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनाँक 26 मार्च, 2010 तथा प्रदेश के राजकोषीय प्रबन्धन विषयक शासनादेश संख्या : बी–2–2473/दस–2010–244(5)/2010– ।। दिनाँक 18 अगस्त, 2010 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

अनूप मिश्र
(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव ।

संख्या : बी–2–2474(1)/दस–2010–244(5)/2010–।।, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6 निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश जवाहर भवन, लखनऊ ।
7 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 वित्त विभाग के समस्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
11 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं
विशेष सचिव ।